**भारत सरकार**

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न सं0 1099**

**दिनांक 19 दिसम्‍बर, 2018**

**सी एन जी भरने के स्टेशनों की कमी**

**1099. श्री लाल सिंह वड़ोदियाः**

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि देश में सी एन जी फिलिंग स्टेशनों की कमी महसूस की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इसकी संख्या बढ़ाने पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो कब तक; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**उत्तर**

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री**

**(श्री धर्मेन्द्र प्रधान)**

(क) से (घ): वर्तमान में, 23 राज्‍यों/केन्‍द्र शासित प्रदेशों (यूटीज) में 96 भौगोलिक क्षेत्रों में प्रचालन किया जा रहा है। 9वें सीजीडी बोली दौर के पूरा होने के साथ ही नगर गैस वितरण (सीजीडी) नेटवर्क 26 राज्‍यों और यूटीज में फैले लगभग 280 जिलों (263 में पूर्णत: और 17 में आंशिक रूप से) को कवर करते हुए 180 जीएज में  पहुंच जाएगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) ने 14 राज्‍यों और 124 जिलों (112 में पूर्णत: और 12 में आंशिक रूप से) में फैले हुए 50 भौगोलिक क्षेत्रों को कवर करते हुए सीजीडी नेटवर्क का विकास करने के लिए 10वां सीजीडी बोली दौर भी शुरू किया है। सीजीडी कंपनियां अपनी कार्य योजना के अनुसार संपीडित प्राकृतिक गैस (सीएनजी) केन्‍द्र स्‍थापित करेंगी। तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) और गेल को उनके एमओयू में सीएनजी केन्‍द्रों की संख्‍या के लक्ष्‍य को प्राप्‍त करने का लक्ष्‍य दिया गया है। दिनांक 01.11.2018 की स्थिति के अनुसार, देश में 1491 सीएनजी केन्‍द्र प्रचालन में है।

प्राधिकृत सीजीडी कंपनी अपनी तकनीकी-वाणिज्यिक व्‍यवहार्यता के आधार पर पेट्रोल पंपों पर सीएनजी की आपूर्ति करने के लिए अपने खुदरा बिक्री केन्‍द्रों पर अपना स्‍वयं का अथवा ओएमसीज के साथ करार के जरिए सीएनजी केन्‍द्र स्‍थापित कर सकती है। सीएनजी केन्‍द्रों को पीएनजीआरबी द्वारा प्राधिकृत नहीं किए गए क्षेत्रों में भी उनके द्वारा दिए गए एनओसी के आधार पर स्‍थापित किया जा सकता है।

पीएनजीआरबी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन संबद्धता और प्राकृतिक गैस की उपलब्‍धता के आधार पर सीजीडी नेटवर्कों का विकास करने के लिए जीएज की पहचान करता है।

नगर गैस नेटवर्कों के विस्‍तार को बढ़ावा देने के उद्देश्‍य से, एमओपीएंडएनजी ने सीजीडी क्षेत्र की पीएनजी (घरेलू) और सीएनजी (परिवहन) क्षेत्रों की समग्र आवश्‍यकता को पूरा करने के लिए घरेलू गैस का आबंटन किया है और इसे कोई कटौती नहीं वाली श्रेणी में रखा है। गेल को सीजीडी कंपनियों को घरेलू गैस की आपूर्ति करने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

\*\*\*\*